रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-05052022-235571 CG-DL-E-05052022-235571

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

#### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 324] No. 324] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 5, 2022/वैशाख 15, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, MAY 5, 2022/VAISAKHA 15, 1944

## वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2022

सा.का.िन. 339(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 245 थ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इन नियमो का संक्षिप्त नाम आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम 2022 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. आय-कर नियम 1962 (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 44ङ में,-
  - (।) उपनियम (1) में 'चार प्रतियों में'' शब्दों का लोप किया जाएगा;
  - (।।) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखे जाएगें, अर्थात्:-
- ''(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन, उसके साथ उपाबद्ध सत्यापन, उक्त आवेदनपत्र के उपाबंध और उपाबंध के साथ लगाए जाने वाले निम्नलिखित विवरण और दस्तावेज होंगे,-
- (क) किसी व्यष्टि के मामले में,-
  - (ı) अंकीय हस्ताक्षरित, यदि उसे इन नियमो के अधीन अंकीय हस्ताक्षर के अधीन अपनी विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है,--

3089 GI/2022 (1)

- (i) स्वयं व्यष्टि द्वारा;
- (ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से व्यक्ति द्वारा आवेदनपत्र पर हस्ताक्षार किए जाने संभव न हों, वहां इस निमित्त उसके द्वारा सम्यक्त: प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा:

परन्तु यह कि उपखंड (ii) में निर्दिष्ट मामले में आवेदनपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के पास ऐसा करने के लिए उस व्यक्ति से प्राप्त विधिमान्य मुख्तारनामा होना चाहिए और उसे आवेदनपत्र के साथ संलग्न किया जाएगा;

- (।।) अन्य मामले में, उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से संसूचित किया जाएगा।
- (ख) हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की दशा में,-
  - (।) अंकीय रूप से हस्ताक्षरित, यदि उसे इन नियमो के अधीन अंकीय हस्ताक्षर के अधीन अपनी विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है,--
    - (i) उसके कर्त्ता द्वारा; और
    - (ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से कर्त्ता द्वारा आवेदनपत्र पर हस्ताक्षर किए जाने संभव न हों, वहां कुटुम्ब के किसी अन्य वयस्क सदस्य द्वारा;
  - (।।) अन्य मामले में, उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से संसूचित किया जाएगा ।
  - (ग) किसी कंपनी की दशा में अंकीय रूप से हस्ताक्षरित,-
    - (i) उसके प्रबंध निदेशक द्वारा या जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसे प्रबंध निदेशक के लिए आवेदन हस्ताक्षरित और सत्यापित करना संभव न हो, या जहां कोई प्रबंध निदेशक न हो, वहां उसके किसी निदेशक द्वारा;
    - (ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से प्रबंध निदेशक या निदेशक के लिए आवेदनपत्र पर हस्ताक्षर करना संभव न हो वहां इस निमित्त कंपनी द्वारा सम्यक्त: प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा;

परन्तु यह कि उपखंड (ii) में निर्दिष्ट मामले में, आवेदनपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के पास ऐसा करने के लिए कंपनी से प्राप्त विधिमान्य मुख्तारनामा होना चाहिए और उसे आवेदनपत्र के साथ लगाया जाएगा;

- (घ) फर्म की दशा में,
- (।) अंकीय रूप से हस्ताक्षरित, यदि उसे इन नियमो के अधीन अंकीय हस्ताक्षर के अधीन अपनी आप की विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है,--
  - (i) उसके प्रबंध भागीदार द्वारा और
  - (ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसे प्रबंध भागीदार द्वारा आवेदनपत्र हस्ताक्षरित या सत्यापित किया जाना संभव न हो या जहां कोई प्रबंध भागीदार ही न हो, वहां उसके किसी भी ऐसे भागीदार द्वारा जो अवयस्क न हो;
- (।।) अन्य मामले में, उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से संसूचित किया जाएगा।
- (ङ) व्यक्तियों के किसी संगंम की दशा में,-
  - (।) अंकीय रूप से हस्ताक्षरित, यदि संगंम का कोई व्यक्ति या उसके प्रधान अधिकारी द्वारा अंकीय हस्ताक्षर के अधीन उसकी आय की विवरणी प्रस्तुत करना इन नियमों के अधीन अपेक्षित है या
  - (।।) अन्य मामले में, उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से संसूचित किया जाएगा;
- (च) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में,-
  - (।) अंकीय रूप से हस्ताक्षरित, यदि उस व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से कार्य करने के लिए सक्षम किन्ही अन्य व्यक्ति द्वारा अंकीय हस्ताक्षर के अधीन अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत करना इन नियमों के अधीन अपेक्षित हैं या
  - (।।) अन्य मामले में, उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से संसूचित किया जाएगा।'';

3. उक्त नियम में, उपाबंध 2 में ''प्ररूप संख्या 34 ग से प्ररूप संख्य 34 ङक'' प्ररूपो के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखें जाएगें, अर्थात् :-

## "प्ररूप सं. 34ग

## [नियम 44ङ देखिए]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 245थ(1) के अधीन कोई अग्रिम विनिर्णय अभिप्राप्त करने के लिए [अनिवासी आवेदक के संबंध में आवेदन का प्ररूप]

(कृप्या इस प्ररूप को भरने से पूर्व टिप्पणियों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें)

## अग्रिम विनिर्णय के प्राधिकारी के समक्ष

	`	•			
 का	आवेदन	स	 	 	 ٠.

1.	आवेदक का पूरा नाम और पता	
2.	टेलीफोन, फैक्स नं और ई-मेल पता	
3.	वह देश, जिसका वह निवासी है	
4.	प्रास्थिति	
5.	अनिवासी होने के लिए दावे का आधार	
6.	आवेदक पर अधिकारिता रखने वाला आयुक्त (केवल विद्यमान निर्धारितियों की दशा में)	
7.	स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्या (केवल विद्यमान निर्धारितियों की दशा में)	
8.	उस संव्यवहार से संबंधित प्रश्न, जिसके (जिनक) संबंध में अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है।	
9.	उपर्युक्त प्रश्न (प्रश्नों) से संबंद्ध सुसंगत तथ्यों का विवरण	
10.	उपर्युक्त प्रश्न (प्रश्नों) के संबंध में आवेदक के, यथास्थिति, विधि या तथ्यों के निर्वचन वाला विवरण	
11.	संलग्न दस्तावेजों या विवरणों की सूची	
12.	आवेदन के साथ संलग्न, पाने वाले के खाते में देय डिमांड ड्राफ्ट की विशिष्टियां	
13.	भारत में प्राधिकृत प्रतिनिधि का, यदि कोई हो, नाम और पता	
14.	कर दाता रजिस्ट्रीकरण संख्यांक या कर दाता पहचान संख्यांक या प्रकार्य समतुल्य या उस देश की सरकार द्वारा पहचान के लिए उपयुक्त कोई यूनिक संख्यांक या वह विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र, जिसका आवेदक निवासी होने का दावा करना है।	

15.	आवेदक की मूल कंपनी या कंपनियों की विशिष्टियां:	
(क)	आवेदक की तत्काल मूल कंपनी का नाम	
(ख)	आवेदक की तत्काल मूल कपंनी का पता	
(ग)	आवेदक की तत्काल मूल कंपनी के वास स्थान का देश	
(ঘ)	आवेदक की तत्काल मूल कंपनी का स्थाई खाता संख्या (यदि आबंटित की गई हो)	
(इ.)	कर दाता रजिस्ट्रीकरण संख्यांक या कर दाता पहचान संख्यांक या प्रकार्य समतुल्य या उस देश की सरकार द्वारा आवेदक की तत्काल मूल कंपनी की पहचान के लिए उपयुक्त कोई यूनिक संख्यांक या वह विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र, जिसका वह निवासी होने का दावा करता है।	
(च)	आवेदक की क्रमांतिम मूल कंपनी का नाम	
(ন্ত)	आवेदक की क्रमांतिम मूल कंपनी का पता	
(ज)	ओवदक की क्रमांतिम मूल कंपनी के वास स्थान का देश	
(झ)	ओवदक की क्रमांतिम मूल कंपनी का स्थाई खाता संख्या (यदि आबंटित की गई हो)	
(স)	कर दाता रजिस्ट्रीकरण संख्यांक या कर दाता पहचान संख्यांक या प्रकार्य समतुल्य या उस देश की सरकार द्वारा आवेदक की क्रमांतिम मूल कपंनी की पहचान के लिए उपयुक्त कोई यूनिक संख्यांक या वह विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र, जिसका वह निवासी होने का दावा करता है।	

	 ٠.	٠.	٠.	 	 ٠.	٠.	-			-	
					(	37	7	ने	<del>ر</del>	9	5)

## सत्यापन

मैं,	, पुत्र/पुत्री/पत्नी
[पूरा नाम, स्पष्ट अक्षरों में] श्री	
करता/करती हूं कि ऊपर और उपाबंधों) में जिसके अंतर्गत ऐसे उपाबंध (उपाबंधों) के	ह साथ संलग्न दस्तावेज भी हैं, जो कथन
किया गया है, वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण	है । मैं यह और घोषणा करता हूं कि मैं,
(पदनाम) के रूप में अपनी हैसियत में यह आवेदन कर र	हा हूं और मै यह आवेदन करने और इसे
सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं ।	

मैं यह भी घोषणा करता हू कि वह प्रश्न, जिस पर अग्रिम वि	वीनिर्णय अपेक्षित है, मेरे मामले में किसी आय-कर प्राधिकारी,
अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के समक्ष लंबित नहीं है	्।
आज तारीखको सत्यापित किया ग	गया ।
	(आवेदक)
स्थान :	

#### टिप्पण:

- 1. यह आवेदन अंग्रेजी या हिन्दी में भरा जाए।
- 2. आवेदन का संख्यांक और प्राप्ति की तारीख अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के कार्यालय में भरा जाएगा।
- 3. आवेदन के साथ नई दिल्ली में संदेय, अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के पक्ष में लिखा दो हज़ार पांच सौ भारतीय रुपए का पाने वाले के खाते में देय डिमांड डा़फ्ट दिया जाए। मद 12 के उत्तर में डा़फ्ट की विशिष्टियां दी जानी चाहिएं।
- 4. मद सं. 3 के उत्तर में, यदि आपवेदक कोई कंपनी, व्यक्ति-संगम या हिन्दू अविभक्त कुटुंब, आदि है तो, उसके निवास के देश का नाम दिया जाना है, नाकि ऐसे व्यक्ति का, जो उस व्यक्ति की ओर से आवेदन फाइल कर रहा है।
- 5. मद सं. 4 के उत्तर में, आवेदक यह बताए कि क्या वह यह व्यष्टि हिन्दू अविभक्त कुटुंब, फर्म, व्यक्ति-संगम या कंपनी है।
- 6. मद सं. 5 के लिए उत्तर आय-कर अधिनियम की धारा 6 में यथाअन्तर्विष्ट भारत में 'निवास' से संबंधित उपबंधों के सदंर्भ में दिया जाए। इस संबंध में स्थिति निम्नानुसार है:

किसी व्यक्ति को किसी वित्तीय वर्ष में 'निवासी' तब कहा जाता है, जब यदि वह उस वर्ष के दौरान निम्नानुसार भारत में रहा है:-

- 182 दिन या अधिक की अवधि या अवधियों के लिए; या
- 60 दिन या अधिक की अवधि या अवधियों के लिए और वह पूर्ववर्ती चार वर्षों में 365 दिन या अधिक की अवधि या अवधियों के लिए भी भारत में रहा है।

तथापि, किसी भारत के नागरिक या कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत के बाहर रह रहा है और भारत भ्रमण के लिए आता है या जब कोई भारत का नागरिक भारत के बाहर नियोजन के प्रयोजन के लिए या किसी भारतीय पोत के कर्मीदल के सदस्य के रूप में भारत छोडता है, की दशा में 60 दिनों की अविध को बढ़ाकर 182 दिन कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, या भारतीय मूल का व्यक्ति है, जो भारत के बाहर है और भारत भ्रमण के लिए आता है तो उपर्युक्त उल्लिखित 60 दिन की अविध को बढ़ाकर 120 दिन कर दिया गया है, यदि सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान ऐसे व्यक्ति की कुल आय विदेशी स्रोत से आय के सिवाय 15 लाख से अधिक है।

इसके अतिरिक्त उपरोक्त उल्लिखित दशाओं पर विचार के बिना कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, जिसकी कुल आय विदेशी स्रोत से आय के सिवाय 15 लाख से अधिक है, निवासी समझा जाएगा यदि वह अपने अधिवास या निवास या किसी अन्य मानदंड के कारण किसी देश या संघ राज्य क्षेत्र में कर के लिए दायी नहीं है।

कोई कंपनी भारत में निवासी है, यदि यह काई भारतीय कंपनी है या उसके कार्यों का नियंत्रण और प्रबंध पूर्णतया भारत में स्थित है । ऐसा कोई व्यक्ति, जो उपरोक्तानुसार भारत में निवासी नहीं है, भारत में अनिवासी है।

कोई व्यक्ति-संगम या हिन्दू अविभक्त कुटुंब प्रत्येक दशा में भारत में निवासी है सिवाय वहां के जहां उसके कार्यों का नियंत्रण और प्रबंध पूर्णतया भारत के बाहर स्थित है। कोई कंपनी भारत में निवासी है, यदि यह कोई भारतीय कंपनी है या उसके कार्यों का नियंत्रण और प्रबंध पूर्णतया में स्थित है।

ऐसा कोई व्यक्ति, जो उपरोक्तानुसार भारत में निवासी नहीं है, भारत में अनिवासी है।

- 7. मद सं. 8 के संबंध में, प्रश्न, वास्तविक या प्रस्थापित संव्यवहारों पर आधारित होना चाहिए (होने चाहिएं) परिकल्पित प्रश्नों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।
- 8. मद सं. 9 के संबंध में, उपाबंध 1 में आवेदक सुसंगत तथ्यों को व्यौरेवार बताए और अपने कारबार या वृत्ति की प्रकृति और प्रस्थापित संव्यवहारों की संभावित तारीख और प्रयोजन को भी प्रकट करे। आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में प्रदर्शित सुसंगत तथ्यों को, तथ्यों के विवरण में सम्मिलित किया गया हो, न कि मात्र निर्देश द्वारा समाविष्ट किए गए हो।
- 9. मद सं. 10 के लिए, उपाबंध 2 में, आवेदक उस प्रश्न (उन प्रश्नों) की बाबत, जिस (जिन) के संबंध में अग्रिम विनिर्णय चाहा गया है, विधि या तथ्यों के अपने निर्वचन का स्पष्टरूप से उल्लेख करे।
- 10. आवेदन, उससे उपाबद्ध सत्यापन, आवेदन के लिए उपाबंधों और उपाबंधों के साथ दिए जाने वाले निम्नलिखित विवरणों और दस्तावेजों,-
- (क) व्यष्टि की दशा में,--
- (I) डिजिटल रूप, यदि उससे इन नियमों के अधीन डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन उसकी आय-कर विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित किया जाए
  - (i) व्यष्टि के स्वयं के द्वारा; और
  - (ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से किसी व्यष्टि के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर करना संभव नहीं है, तो इस संबंध में उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा से हस्ताक्षरित किया जाएगा; या

परंतु उपखंड (ii) में निर्दिष्ट दशा में आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति ऐसा करने के लिए कंपनी से विधिमान्य मुख्तारनामा धारित करेगा, जो आवेदन से संलग्न होगा;

- (II) किसी अन्य दशा में उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से संसूचित किया जाए;
- (ख) अविभक्त हिंदू कुटुंब की दशा में,-
- (I) डिजिटल रूप, यदि उससे इन नियमों के अधीन डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन उसकी आय-कर विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित किया जाए
  - (i) कर्ता के स्वयं के द्वारा; और
  - (ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से किसी कर्ता के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर करना संभव नहीं है, इस संबंध में उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राघिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, हस्ताक्षरित किया जाएगा; या
- (II) किसी अन्य दशा में उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से संसूचित किया जाए;
- (ग) कंपनी की दशा में,-
  - (i) उसके प्रबंध निदेशक द्वारा या जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा प्रबंध निदेशक आवेदन पर हस्ताक्षर करने और सत्यापन करने में समर्थ नहीं है या उसका कोई प्रबंध निदेशक नहीं है, वहां उसके किसी निदेशक द्वारा;
  - (ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से किसी प्रबंध निदेशक या निदेशक के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर करना संभव नहीं है, इस संबंध में कंपनी द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, हस्ताक्षरित किया जाए:

परंतु उपखंड (ii) में निर्दिष्ट दशा में आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति ऐसा करने के लिए कंपनी से विधिमान्य मुख्तारनामा धारित करेगा, जो आवेदन से संलग्न होगा;

- (घ) फर्म की दशा में,-
- (I) डिजिटल रूप, यदि उससे इन नियमों के अधीन डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन उसकी आय-कर विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित किया जाए
  - (i) प्रबंध भागीदार के स्वयं के द्वारा; और
  - (ii) उसके प्रबंध भागीदार द्वारा या जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा प्रबंध भागीदार आवेदन पर हस्ताक्षर करने और सत्यापन करने में समर्थ नहीं है या उसका कोई प्रबंध भागीदार नहीं है, वहां उसके किसी भागीदार द्वारा, हस्ताक्षरित किया जाएगा, जो अवयस्क नहीं हो;
- (II) किसी अन्य दशा में उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से संसूचित किया जाए;
- (ङ) व्यक्तियों के संगम की दशा में,-
- (I) डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा, यदि संगम के किसी सदस्य द्वारा या उसके प्रधान अधिकारी द्वारा इन नियमों के अधीन डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन उसकी आय-कर विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित किया जाए
- (II) किसी अन्य दशा में उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से संसूचित किया जाए;
- (च) किन्हीं अन्य व्यक्तियों की दशा में,-

तारीख.....

- (I) डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा, यदि उस व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से कार्य करने के लिए सक्षम किन्हीं व्यक्तियों द्वारा इन नियमों के अधीन डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन उसकी आय-कर विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित किया जाए; या
- (II) किसी अन्य दशा में उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से संसूचित किया जाए;

	391 <b>98</b> 1	
उन स्	रुसंगत तथ्यों का विवरण जिनका उन प्रश्नों से संबंध है जिन पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षि	त है
स्थान		(आवेदक)
तारीख		
	<del></del>	
	<i>उपाबंध 2</i>	
	प्रश्न जिस पर/जिन पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है, की बाबत् आवेदक के	
	यथास्थिति, विधि या तथ्यों के निर्वचन को अतर्विष्ट करते हुए कथन	
स्थान		(आवेदक)

## प्ररूप सं. 34घ

[नियम 44ङ देखें]

## आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 245थ (1) के अधीन अग्रिम विनिर्णय प्राप्त करने के लिए [अनिवासी आवेदक द्वारा आवेदन का प्ररूप]

(कृपया, इस प्ररूप को भरने से पहले सावधानीपूर्वक टिप्पणियों को पढ़ें)

	की आवेदन सं	
1.	आवेदक का पूरा नाम और पता	
2.	टेलीफोन, फैक्स नं. और ई-मेल पता	
3.	प्रास्थिति	
4.	आवेदक पर अधिकारिता रखने वाला आयुक्त और निर्धारण अधिकारी	Т
5.	स्थायी खाता संख्या या आधार संख्या	
6.	ऐसे अनिवासी की विशिष्टियां, जिसके साथ संव्यवहार किया गया है या किया जाना प्रस्तावित है	
	(क) अनिवासी का नाम	
	(ख) अनिवासी का पता	
	(ग) अनिवासी की टैलीफोन और फैक्स संख्या	
	(घ) अनिवासी का स्थायी खाता संख्या (यदि आबंटित किया गय हो)	Т
	(ङ) करदाता रजिस्ट्रीकरण संख्या या करदता पहचान संख्या, उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र जिसका निवासी होने का दावा किया जाता है, की सरकार द्वारा अनिवासी की पहचान के लिए प्रयुक्त कोई कृत्यकारी समतुल्य या अन्य विशिष्ट संख्या	

8.	किए गए संव्यवहार या किए जाने के लिए प्रस्तावित संव्यवहार जिस पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है, से संबंधित विधि या तथ्य का प्रश्न	
9.	पूर्वोक्त प्रश्नों पर प्रभाव डालने वाले सुसंगत तथ्यों का विवरण	
	6	
	, ,, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
10.	उपरोक्त प्रश्नों की बाबत आवेदक का यथास्थिति विधि या तथ्यों के निर्वचन को अंतर्विष्ट करने वाला विवरण	
11.	संलग्न दस्तावेजों या विवरणों की सूची	
12.	आवेदन से संलग्न पाने वाले के खाते में देय मांग देय ड्राफ्ट की विशिष्टियां	
		/आवेदक/
	सत्यापन	()
उपा	और बड़े अक्षरों में नाम] सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ कि उप बंध( उपाबंधों) से संलग्न दस्तावेज भी हैं, के विवरण मेरे सर्वोत्तम और घोषणा करता हूँ कि मैं	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(पद	नाम) की क्षमता में यह आवेदन कर रहा हूं और मैं यह आवेदन व	
	ह भी घोषणा करता हूँ कि ऐसा प्रश्न जिस पर अग्रिम विनिर्णय अ ली अधिकरण या किसी न्यायालय के समक्ष लंबित नहीं है ।	ोक्षित है, मेरे मामले में किसी आय-कर प्राधिकारी,
आज	तारीख को सत्यापित किया गया है ।	
		(आवेदक)
स्था	<del>т</del>	

## टिप्पण:

- 1. आवेदन अंग्रेजी या हिंदी में भरा जाएगा।
- 2. आवेदन प्राप्ति की संख्या और वर्ष अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के कार्यालय में भरा जाएगा।

- 3. आवेदन के साथ नई दिल्ली में संदेय अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के पक्ष में दो हजार पांच सौ भारतीय रुपयों के दो पाने वाले के खाते में देय मांग देय ड्राफ्ट संलग्न हो। ड्राफ्ट की विशिष्घ्टियां मद संख्या 12 के प्रत्युत्तर में दी जाएगी।
- 4. मद संख्या 3 के प्रत्युत्तर में आवेदक यह कथन करेगा कि वह या तो व्यष्टि, अविभक्त हिंदू कुटुंब, फर्म, व्यक्तियों का संगम या कंपनी है।
- 5. मद संख्या 6 के लिए आय-कर अधिनियम की धारा 6 में यथा अंतर्विष्ट भारत में 'निवासी' से संबंधित उपबंधों के संदर्भ में प्रत्युत्तर दिया जाएगा। इस संबंध में स्थिति निम्नानुसार है:

किसी व्यष्टि को किसी वित्तीय वर्ष में 'निवासी' कहा जाएगा, यदि वह उस वर्ष के दौरान भारत में:

- 182 दिन या अधिक की अवधि या अवधियों के लिए; या
- 60 दिन या अधिक की अविध या अविधयों के लिए रहा हो पूर्ववर्ती चार वर्षों में 365 दिन या अधिक की अविध या अविधयों के लिए भी भारत में रहा हो।

हालांकि भारत के नागरिक या भारतीय मूल के किसी व्यक्ति जो भारत से बाहर है और भारत में भ्रमण के लिए आता है या भारत का नागरिक जो भारत के बाहर नियोजन के प्रयोजनों के लिए या भारतीय पोत में कर्मीदल के सदस्य के रूप में भारत को छोड़ देता है की दशा में 60 दिन की अवधि को 182 दिन तक बढ़ा दिया गया है। इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या भारतीय मूल का व्यक्ति है, जो भारत के बाहर हो और भारत में भ्रमण के लिए आता हो, तो उपरोक्त उल्लिखित 60 दिन की अवधि को 120 दिन में बढ़ा दिया जाएगा, यदि ऐसे व्यक्ति की विदेशी स्रोतों से आय से भिन्न कुल आय सुसंगत पूर्व के दौरान 15 लाख रुपए से अधिक हो।

इसके अतिरिक्त यह और भी कि उपरोक्त उल्लिखित शर्तों पर ध्यान दिए बिना कोई व्यष्टि जो भारत का नागरिक है और उसकी विदेशी स्रोत से आय से भिन्न आय 15 लाख रुपए से अधिक है, वह निवासी समझा जाएगा, यदि वह उसके अधिवास या निवास या किसी अन्य मानदंड के कारण किसी अन्य देश या राज्यक्षेत्र में कर के लिए दायी नहीं है।

व्यक्तियों का संगम या हिंदू अविभक्त कुटुंब प्रत्येक दशा में भारत का निवासी होगा उस दशा के सिवाय जहां उसके कार्यों का नियंत्रण और प्रबंधन पूरी तरह भारत के बाहर अवस्थित है।

कोई कंपनी भारत में निवासी होगी, यदि वह एक भारतीय कंपनी है और उसके प्रभावी प्रबंधन का स्थान पूर्णतया भारत में अवस्थित है।

कोई व्यक्ति जो उपरोक्तानुसार भारत में अनिवासी है, वह अनिवासी भारतीय होगा।

- 7. मद संख्या 8 के संबंध में प्रश्न वास्तविक या प्रस्तावित संव्यवहारों पर आधारित होगा (होंगे) । अनुमानित प्रश्नों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 8. मद संख्या 9 की बाबत, उपाबंध 1 में आवेदक सुसंगत तथ्यों का ब्यौरा देगा और अपने कारबार या वृत्ति की प्रकृति का और प्रस्तावित संव्यवहार (संव्यवहारों) की संभाव्य तारीख और प्रयोजन भी प्रकटन करेगा । आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों में प्रकटित सुसंगत तथ्यों को तथ्यों के कथन में सिम्मिलित किया जाएगा और केवल संदर्भ के रूप में सिम्मिलित नहीं किया जाएगा।
- 9. मद संख्या 10 के लिए उपाबंध 2 में आवेदक अपने विधि के निर्वचन या ऐसे प्रश्न (प्रश्नों) जिन पर अग्रिम विनिर्णय चाहा गया है, की बाबत तथ्यों को स्पष्ट रूप से वर्णित करेगा।
- 10. आवेदन, उससे संलग्न सत्यापन, आवेदन और विवरणों के उपाबंधों और उपाबंधों से संलग्न दस्तावेज इस प्रकार से है,-(क) व्यष्टि के मामले में,-
  - (I) अंकीय रूप से चिंहनांकित, यदि उसे अंकीय हस्ताक्षर के अधीन आय की अपनी विवरणी देना इन नियमों के अधीन अपेक्षित हो
    - (i) व्यष्टि स्वयं द्वारा; और
  - (ii) जहां, किसी अपिरहार्य कारण से, किसी व्यष्टि के लिए आवेदन में हस्ताक्षर करना संभव नहीं है, इस संबंध में उसके द्वारा सम्यक् प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा ;

परंतु उपखंड (ii) में संदर्भित मामले में, आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के पास ऐसा करने के लिए व्यष्टि से विधिपूर्ण मुख्तारनामा रखता है, जिसे आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा; या

- (॥) किसी अन्य मामले में, अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता के माध्यम से संसूचित करेगा ;
- (ख) हिंदु अविभक्त परिवार के मामले में,-
  - (I) अंकीय रूप से चिंहनांकित, यदि उसे अंकीय हस्ताक्षर के अधीन आय की अपनी विवरणी देना इन नियमों के अधीन अपेक्षित हो–
    - (i) उसके कर्ता द्वारा; और
  - (ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से, कर्ता के लिए आवेदन में हस्ताक्षर करना संभव नहीं है ऐसे परिवार के किसी अन्य वयस्क सदस्य द्वारा; या
  - (II) किसी अन्य मामले में, अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता के माध्यम से संसूचित करेगा ;
- (ग) कंपनी के मामले में, अंकीय रुप से हस्ताक्षरित,-
  - (i) उसके प्रबंध निदेशक द्वारा, या जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसे प्रबंध निदेशक आवेदन में हस्ताक्षर और सत्यापन करने के योग्य नहीं हैं, या जहां कोई प्रबंध निदेशक नहीं हैं ; उसके किसी निदेशक द्वारा ;
  - (ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से, प्रबंध निदेशक या निदेशक के लिए आवेदन में हस्ताक्षर करना संभव नहीं है इस संबंध में कंपनी द्वारा सम्यक् प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा ;

परंतु उपखंड (ii) के संदर्भित मामले में, आवेदन पर हस्ताक्षरित करने वाले व्यक्ति के पास ऐसा करने के लिए कंपनी से विधिपूर्ण मुख्तारनामा रखता है, जिसे आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा ; या

## (घ) फर्म के मामले में,

- (I) अंकीय रुप से चिंहनांकित, यदि उसे अंकीय हस्ताक्षर के अधीन आय की अपनी विवरणी देना इन नियमों के अधीन अपेक्षित हो
  - (i) उसके प्रबंध भागीदार द्वारा ; और
- (ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से, ऐसा प्रबंध भागीदार आवेदन में हस्ताक्षर या सत्यापित करने के योग्य नहीं है, या जहां ऐसा कोई प्रबंध भागीदार नहीं है, उसके किसी भागीदार द्वारा, जो अवयस्क न हो ;
- (II) किसी अन्य मामले में, अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता के माध्यम से संसूचित करेगा ;
- (ड.) व्यक्तियों के संगम के मामले में,--
  - (I) अंकीय रुप से चिन्हनांकित, यदि वह उसके किसी संगम के सदस्य या प्रधान अधिकारी द्वारा अंकीय हस्ताक्षर के अधीन आय की अपनी विवरणी देना इन नियमों के अधीन अपेक्षित हो ; या
  - (॥) किसी अन्य मामले में, अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता के माध्यम से संसूचित करेगा ;
- (च) किसी अन्य व्यक्ति के मामले में,--
  - (I) अंकीय रुप से चिन्हनांकित, यदि वह उस व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से काम करने के लिए कुछ सक्षम व्यक्ति द्वारा : या
  - (II) किसी अन्य मामले में, अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता के माध्यम से संसूचित करेगा ;

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 13

## उपाबंध 1

उन सुसंगत तथ्यों	का विवरण जिनका उस प्रश्न	(प्रश्नों) से संबंध है, जिन पर अ	ग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है
			(आवेदक)
स्थान			
तारीख			
	;	उपाबंध 2	
प्रश्न (प्रश्नों) जिन पर अग्रिम अंतर्विष्ट करते हुए कथन	। विनिर्णय अपेक्षित है, की	बाबत आवेदक के यथास्थिति	ा, विधि या तथ्यों के निर्वचन को
••••			
			(आवेदक)
स्थान			
तारीख			
	प्ररु	ग सं. 3 <b>4</b> घक	
	[निय	म 44ड. देखें]	
आयकर अधिनियम 1961		ोन अग्रिम विनिर्णय प्राप्त करने दन का प्ररुप]	के लिए [अनिवासी आवेदक द्वारा
	(कृपया इस प्ररुप को भरने	से पहले टिप्पणों को ध्यानपूर्वव	<b>क्र प</b> ढ़ें)
	अग्रिम विनिर्ण	ग के लिए बोर्ड के समक्ष	
	की	आवेदन सं	
<ol> <li>आवेदन का पूरा नाम</li> </ol>	। और पता		
o <del>&gt; 0 &gt; 2 = -</del> 3	2		
2. टेलीफोन फैक्स नं औ	र इ-मल पता		
3. प्रास्थिति			

4.	आवेदक के ऊपर अधिकारिता रखने वाले आयुक्त और निर्धारण अधिकारी	
5.	स्थायी खाता संख्या या आधार संख्या	
6.	उस व्यक्ति का नाम, पता, टेलीफोन या फैक्स नंबर और ई-मेल पता, जिसके साथ संव्यवहार किया गया है या संव्यवहार किया जाना प्रस्तावित है।	
7.	किए गए या किए जाने के लिए प्रस्तावित संव्यवहार से संबंधित विधि या तथ्य के प्रश्नों जिस पर अग्रिम विनिर्णय आपेक्षित है	
8.	पूर्वोक्त तथ्यों पर प्रभाव डालने वाले सुंसगत तथ्यों का विवरण	
9.	पूर्वोक्त प्रश्नों के संबंध में, यथास्थिति विधि या तथ्यों के निर्वचन को अंतर्विष्ट करने वाले विवरण	
10.	क्या उठाए गए प्रश्न पर न्यायालय का कोई विनिश्चय है जिस पर विनिर्णय आवश्यक है यदि हां, तो ऐसे सुसंगत विनिश्चयों की सूची दें।	
11.	संलग्न दस्तावेजों या विवरणों की सूची	
12.	आवेदक से संलग्न पाने वाले के खाते में मांग देय ड्राफ्ट की विशिष्टियां	
		 ······································
		हस्ताक्षर) (थावेटक)
		(आवेदक)

स्थान.....

T	~7	77.	7-
77		, ,	ш.

मैं,	.पुत्र/पुत्री/पत्नी [पूरा और बड़े अक्षरों में
नाम] सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं कि उपरोक्त में और उपाबंध (उपाबंध	ों), जिसके अंतर्गत ऐसे उपाबंध (उपाबंधों)
से संलग्न दस्तावेज भी हैं, के विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुस	तार सही और पूर्ण हैं । मैं यह और घोषणा
करता हूं कि मैं(प	दनाम) की क्षमता में यह आवेदन कर रहा
हूं और मैं यह आवेदन करने के लिए सक्षम हूं और इसका सत्यापन करता हूं।	
मैं यह भी घोषणा करता हूं कि ऐसा प्रश्न जिस पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित हैं अपीली आधिकरण या किसी न्यायालय के समक्ष लंबित नहीं है।	, मेरे मामले में किसी आय कर प्राधिकारी,
आज तारीख को सत्यापित किया गया है ।	
	(हस्ताक्षर)
	(आवेदक)

#### टिप्पण :

स्थान.....

- 1. आवेदन अंग्रेजी या हिंदी मे भरा जाए।
- 2. आवेदन प्राप्ति की संख्या और वर्ष अंग्रिम विनिर्णय बोर्ड के कार्यालय में भरा जाएगा।
- आवेदन के साथ नई दिली में संदेय अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के पक्ष में दो हजार पांच सौ भारतीय रुपयों के पाने वाले के खाते में देय मांग देय ड्राफ्ट संलग्न हो। ड्राफ्ट की विशिष्टियां मद संख्या 12 के प्रत्युत्तर में दी जाएगी।
- मद संख्या 3 के प्रत्युत्तर में आवेदक यह कथन करेगा कि क्या वह व्यष्टि, अविभक्त हिंदू कुटुंब, फर्म, व्यक्तियों का संगम या कंपनी है।
- मद संख्या 6 के संबंध में प्रश्न वास्तविक या प्रस्तावित संव्यवहारों पर आधारित होगा (होंगे) । अनुमानित प्रश्नों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 8. मद संख्या 7 की बाबत, उपाबंध 1 में आवेदक सुसंगत तथ्यों का ब्यौरा देगा और अपने कारबार या व्यक्ति की प्रकृति का और प्रस्तावित संव्यवहारों की संभाव्य तारीख और प्रयोजन भी प्रकटन करेगा। आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों में प्रकटित सुसंगत तथ्यों को तथ्यों के कथन में सम्मिलित किया जाएगा और केवल संदर्भ के रुप में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
- 9. मद संख्या 8 के लिए उपाबंध 2 में आवेदक अपने विधि के निर्वचन या ऐसे प्रश्न (प्रश्नों) जिन पर अग्रिम विनिर्णय चाहा गया है, की बाबत तथ्यों को स्पष्ट रुप से वर्णित करेगा।
- 10. आवेदन, उससे संलग्न सत्यापन, आवेदन और विवरणों के उपाबंधों और उपाबंधों से संलग्न दस्तावेज इस प्रकार से है,-
- (क) व्यष्टि के मामले में,-
  - (I) अंकीय रूप से चिंहनांकित, यदि उसे अंकीय हस्ताक्षर के अधीन आय की अपनी विवरणी देना इन नियमों के अधीन अपेक्षित हो
    - (i) व्यष्टि स्वयं द्वारा ; और
  - (ii) जहां, किसी अपिरहार्य कारण से, किसी व्यष्टि के लिए आवेदन में हस्ताक्षर करना संभव नहीं है, इस संबंध में उसके द्वारा सम्यक् प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा ;

परंतु उपखंड (ii) में संदर्भित मामले में, आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के पास ऐसा करने के लिए व्यष्टि से विधिपूर्ण मुख्तारनामा रखता है, जिसे आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा ; या

- (॥) किसी अन्य मामले में, अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता के माध्यम से संसूचित करेगा ;
- (ख) हिंदु अविभक्त परिवार के मामले में,-
  - (I) अंकीय रूप से चिंहनांकित, यदि उसे अंकीय हस्ताक्षर के अधीन आय की अपनी विवरणी देना इन नियमों के अधीन अपेक्षित हो –
  - (i) उसके कर्ता द्वारा ; और
  - (ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से, कर्ता के लिए आवेदन में हस्ताक्षर करना संभव नहीं है ऐसे परिवार के किसी अन्य वयस्क सदस्य द्वारा ; या
  - (II) किसी अन्य मामले में, अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता के माध्यम से संसूचित करेगा ;
- (ग) कंपनी के मामले में, अंकीय रुप से हस्ताक्षरित,-
  - (i) उसके प्रबंध निदेशक द्वारा, या जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसे प्रबंध निदेशक आवेदन में हस्ताक्षर और सत्यापन करने के योग्य नहीं हैं, या जहां कोई प्रबंध निदेशक नहीं हैं ; उसके किसी निदेशक द्वारा ;
  - (ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से, प्रबंध निदेशक या निदेशक के लिए आवेदन में हस्ताक्षर करना संभव नहीं है इस संबंध में कंपनी द्वारा सम्यक् प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा ;

परंतु उपखंड (ii) के संदर्भित मामले में, आवेदन पर हस्ताक्षरित करने वाले व्यक्ति के पास ऐसा करने के लिए कंपनी से विधिपूर्ण मुख्तारनामा रखता है, जिसे आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा ; या

## (घ) फर्म के मामले में,

- (I) अंकीय रुप से चिंहनांकित, यदि उसे अंकीय हस्ताक्षर के अधीन आय की अपनी विवरणी देना इन नियमों के अधीन अपेक्षित हो
  - (i) उसके प्रबंध भागीदार द्वारा; और
- (ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से, ऐसा प्रबंध भागीदार आवेदन में हस्ताक्षर या सत्यापित करने के योग्य नहीं है, या जहां ऐसा कोई प्रबंध भागीदार नहीं है, उसके किसी भागीदार द्वारा, जो अवयस्क न हो;
- (II) किसी अन्य मामले में, अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता के माध्यम से संसूचित करेगा ;
- (ड.) व्यक्तियों के संगम के मामले में,
  - (I) अंकीय रुप से चिन्हनांकित, यदि वह उसके किसी संगम के सदस्य या प्रधान अधिकारी द्वारा अंकीय हस्ताक्षर के अधीन आय की अपनी विवरणी देना इन नियमों के अधीन अपेक्षित हो ; या
  - (II) किसी अन्य मामले में, अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता के माध्यम से संसूचित करेगा ;
- (च) किसी अन्य व्यक्ति के मामले में,-
  - (I) अंकीय रुप से चिन्हनांकित, यदि वह उस व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से काम करने के लिए कुछ सक्षम व्यक्ति द्वारा ; या
  - (II) किसी अन्य मामले में, अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता के माध्यम से संसूचित करेगा ;

## उपाबंध 1

उन सुसंगत तथ्यों	का विवरण जिनका उस प्रश्न (प्रश्नो	ों) से संबंध है, जिन पर अग्रिम विनि	ोर्णय अपेक्षित है
			(आवेदक)
स्थान			(आयदक)
तारीख(आवेदः	<del></del>		
(1) (19(9194)	<i>'')</i>		
	उपाब	रांध 2	
प्रश्न (प्रश्नों) जिन पर अग्रिग अंतर्विष्ट करते हुए कथन	<b>ा विनिर्णय अपेक्षित है, की</b> बाब	त आवेदक के यथास्थिति, विधि <sup>ः</sup>	या तथ्यों के निर्वचन को
••••			
			••
			(3 <del>11)</del> 1
स्थान			(आवेदक)
तारीख			
(11.419			
	प्ररूप सं.	34 <b>ङ</b>	
	[नियम 44ङ		
	•	2	
		ा विनिर्णय अभिप्राप्त करने के लिए ! वर्ग या प्रवर्ग के अंतर्गत आने वाले	
	(इस प्ररूप को भरने से पहले टिप	प्पणियों को ध्यानपूर्वक पढ़ें)	
	अग्रिम विनिर्णय प्राप्ति	धेकारी के समक्ष	
	का आवे	वेदन संख्यांक	
1. आवेदक का पूरा नाम और प	ग्ता	,	
2. टेलीफोन और फैक्स नंबर.ई	मेल पता		
3. प्रास्थिति			

4. आवेदक पर अधिकारिता रखने वाला	
आयुक्त और निर्धारण अधिकारी	
5. स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यां	
6. आयुक्त (अपील) या अधिकरण के समक्ष	
अपील संख्यांक और अपील की तारीख	
[जहां कहीं लागू हो] की विशिष्टियां	
7. निर्धारण वर्ष, निर्धारण आदेश की तारीख	
और वह धारा, जहां लागू हो, जिसके अधीन	
निर्धारण अधिकारी द्वारा, मूल आदेश पारित	
किया गया था (निर्धारण आदेश और अपीलीय	
आदेश की प्रति संलग्न करें)	
8. अन्तर्वलित विधि या तथ्य का (के) प्रश्न,	
जिस (जिन) पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है	
9. उपर्युक्त प्रश्न (प्रश्नों) से संबद्ध सुसंगत	
तथ्यों का विवरण	
10. पूर्वोक्त प्रश्न के संबंध में, आवेदक के	
यथास्थिति, विधि या तथ्यों	
के निर्वचन वाला विवरण	
11. संलग्न दस्तावेजों विवरणों की सूची	
12. आवेदन के साथ संलग्न पाने वाले के	
खाते में देय डिमांड ड्राफ्ट की विशिष्टियां	
	(आवेदक)
	सत्यापन
सत्यनिष्ठा से यह प् अंतर्गत ऐसे उपाबंध (उपाबंधों) के साथ लगे दस्तावे विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है। मैं यह और	, पुत्र पुत्री पत्नी [पूर्ण नाम स्पष्ट अक्षरों में] श्री घोषणा करता/करती हूं कि उपरोक्त और उपाबंध (उपाबंधों) में, जिसके ज भी हैं, जो भी कथन किया गया है, वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और घोषणा करता करती हूं कि मैं यह आवेदनके रूप में न को (पदनाम) करने और इसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं।
मैं यह भी घोषणा करता करती हूं कि वह (वे) प्रश्न, प्राधिकारी, अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के आज तारीखको सत्यापित किया	
	(आवेदक)

स्थान :....

### टिप्पण:

- 1. आवेदन अंग्रेजी या हिन्दी में भरा जाएगा।
- 2. आवेदन का संख्यांक और प्राप्ति का वर्ष अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के कार्यालय में भरा जाएगा।
- 3. आवेदन के साथ नई दिल्ली में संदेय, अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के पक्ष में लिखा दो हजार पांच सौ भारतीय रुपए का पाने वाले के खाते में देय डिमांड ड्राफ्ट भेजा जाएगा। मद 12 के उत्तर में ड्राफ्ट की विशिष्टियां दी जाएंगी।
- 4. मद सं. 3 के उत्तर में, आवेदक यह बताएगा कि क्या वह यह कोई व्यष्टि, हिन्दू अविभक्त कुटुंब, फर्म, व्यष्टि-संगम या कंपनी है।
- 5. मद सं. 8 के संबंध में, प्रश्न वास्तविक या प्रस्तावित संव्यव्हार पर आधारित होगा। अनुमानिक प्रश्न पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 6. मद सं. 9 के संबंध में, उपाबंध 1 में आवेदक सुसंगत तथ्यों को ब्यौरेवार कथन करेगा । प्रत्येक प्रश्न के संबंध में कर प्रभाव को भी वर्णित किया जाएगा।
- 7. मद सं. 10 के लिए, उपाबंध 2 में, आवेदक उस प्रश्न (उन प्रश्नों) के संबंध में, जिस पर अग्रिम विनिर्णय चाहा गया है, विधि या तथ्यों के अपने निर्वचन का स्पष्टरूप से उल्लेख करेगा।
- 8. आवेदन, उससे उपाबद्ध सत्यापन, आवेदन के उपाबंध और उपाबंधों के साथ दिए जाने वाले विवरणों और दस्तावेजों को आय-कर नियम, हस्ताक्षरित किया जाएगा।
- (क) किसी व्यष्टि के मामले में, -
  - (I) डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित, यदि उसे इन नियमों के अधीन डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षित है
    - (i) व्यष्टि द्वारा स्वयं; और
    - (ii) जहां, किसी अपरिहार्य कारण से, व्यष्टि के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर करना संभव नहीं है, इस संबंध में उसके द्वारा सम्यकत: अधिकृत किसी व्यष्टि द्वारा:
    - परंतु उप-खंड (ii) में निर्दिष्ट मामले में, आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाले व्यष्टि के पास ऐसा करने के लिए व्यष्टि से वैध मुख्तारनामा हो, जो आवेदन से जुड़ा होगा; या
    - (II) किसी अन्य मामले में अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से सूचित किया गया;
- (ख) एक हिंदू अविभक्त कुटुंब के मामले में, -
  - (I) डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित, यदि इन नियमों के अधीन डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है, -
  - (i) उसके कर्ता द्वारा; और
  - (ii) जहां, किसी अपरिहार्य कारण से, कर्ता के लिए ऐसे कुटुंब के किसी अन्य वयस्क सदस्य द्वारा आवेदन पर हस्ताक्षर करना संभव नहीं है; या
  - (II) किसी अन्य मामले में अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से सूचित किया गया;
- (ग) एक कंपनी के मामले में, डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित, -
  - (i) उसके प्रबंध निदेशक द्वारा, या जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा प्रबंध निदेशक आवेदन पर हस्ताक्षर और सत्यापन करने में सक्षम नहीं है, या जहां कोई प्रबंध निदेशक नहीं है, उसके किसी निदेशक द्वारा;
  - (ii) जहां, किसी अपरिहार्य कारण से, प्रबंध निदेशक या निदेशक के लिए इस संबंध में कंपनी द्वारा विधिवत अधिकृत किसी व्यष्टि द्वारा आवेदन पर हस्ताक्षर करना संभव नहीं है:
  - परंतु उप-खंड (ii) में निर्दिष्ट मामले में, आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाले व्यष्टि के पास ऐसा करने के लिए कंपनी से एक वैध मुख्तारनामा है, जो आवेदन से जुड़ा होगा;

(आवेदक)

- (घ) एक फर्म के मामले में,
  - (I) डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित, यदि इन नियमों के अधीन डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है, -
    - (i) उसके प्रबंध भागीदार द्वारा, और
      - (ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा प्रबंध भागीदार आवेदन पर हस्ताक्षर और सत्यापन करने में सक्षम नहीं है, या जहां कोई प्रबंध भागीदार नहीं है, उसके किसी भी भागीदार द्वारा, नाबालिग नहीं होने के कारण:
  - (II) किसी अन्य मामले में अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से सूचित किया गया;
- (ङ) व्यष्टियों के एक संघ के मामले में,-
  - (I) डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित, यदि इन नियमों के अधीन एसोसिएशन के किसी सदस्य या उसके प्रमुख अधिकारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है; या
  - (II) किसी अन्य मामले में अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से सूचित किया गया;
- (च) किसी अन्य व्यष्टि के मामले में,--
  - (I) डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित, यदि इन नियमों के अधीन उस व्यष्टि द्वारा या उसकी ओर से कार्य करने के लिए सक्षम किसी व्यष्टि द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है; या
  - (II) किसी अन्य मामले में अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से सूचित किया गया;

#### उपाबंध।

उस प्रश्न (उन प्रश्नों) से जिस पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है,	
संबद्ध सुसंगत तथ्यों का कयन	
ान	
रीख	
(आवे	दक
उपाबंध 2	
उस प्रश्न (उन प्रश्नों) के संबंध में, जिस पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है आवेदक के, यथास्थिति, विधि और तथ्यों के निर्वच वाला विवरण	न
वाला ।ववरण	
गान :	
रीख	

(आवेदक)

#### प्ररूप संख्या 34ङक

## [देखिए नियम 44ङ]

## आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 245थ (1) के अधीन अग्रिम विनिर्णय अभिप्राप्त करने का प्ररूप

(कृपया इस प्ररूप को भरने से पहले टिप्पणियों को सावधानीपूर्वक पढ़ें)

## अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के समक्ष की आवेदन संख्या 1. आवेदक का पूरा नाम और पता 2. टेलीफोन, फैक्स और ई-मेल पता 3. प्रास्थिति 4. आवेदक पर अधिकारिता रखने वाला आयुक्त और निर्धारण अधिकारी 5. स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक 6. आयुक्त (अपील) या अधिकरण के समक्ष अपील संख्यांक और अपील की तारीख की विशिष्टियां, जहां कहीं लागू हो 7. निर्धारण वर्ष, निर्धारण आदेश की तारीख और वह धारा, जहां लागू हो, जिसके अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा, मूल आदेश पारित किया गया था (निर्धारण आदेश और अपीलीय आदेश की प्रति संलग्न करें) 8. अन्तर्वलित विधि या तथ्य का (के) प्रश्न, जिस पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है 9. उपर्युक्त प्रश्न (प्रश्नों) से संबद्ध सुसंगत तथ्यों का विवरण 10. उपर्युक्त प्रश्न (प्रश्नों) के संबंध में, आवेदक के यथास्थिति. विधि या तथ्यों के निर्वचन वाला विवरण 11. संलग्न दस्तावेजों विवरणों की सूची 12. आवेदन के साथ संलग्न पाने वाले के खाते में देय डिमांड ड्राफ्ट की विशिष्टियां

_				
म	7	"	u	ਜ
\ <b>/</b>	١.	71	•	

ौ(नाम स्पष्ट अक्षरों में) पुत्र/पुत्री/पत्नीसत्यिनष्ठा से यह घोषणा
करता/करती हैं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपाबंध(धों) के साथ दस्तावेज भी है में किया गय
तथन सही औरपूर्ण है।
मैं यह और घोषणा करता करती हूँ कि मैं (पदनाम) की क्षमता में यह आवेदन कर रहा रही हूँ और मैं यह आवेदन
करने के लिए सक्षम हूँ। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि वह प्रश्न जिस पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है किसी आय-कर
गिधिकारी, अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के समक्ष मेरे मामले में लंबित नहीं है
भाज दिनको सत्यापित I
-थान <i>(आवेदक)</i>

## टिप्पण:

- 1. आवेदन चार प्रतियों में अंग्रेजी या हिंदी में भरा जाएगा
- 2. आवेदन की प्राप्ति की संख्या और तारीख अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के कार्यालय में भरी जाएगी।
- आवेदन के साथ नई दिल्ली में संदेय अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के पक्ष में आहरित दो हजार पांच सौ भारतीय रुपयों को पाने वाले के खाते में मांग देय ड्राफ्ट संलग्न होगा। ड्राफ्ट की विशिष्टियां मद संख्या 11 के प्रत्युत्तर में दी जानी चाहिए।
- 4. मद संख्या 3 के प्रत्युत्तर में, आवेदक यह कथन करेगा कि क्या वह व्यष्टि, अविभक्त हिंदू कुटुंब, फर्म, व्यक्तियों का संगम या कंपनी है।
- 5. मद संख्या 8 के संबंध में, प्रश्न वास्तविक या प्रस्तावित संव्यवहारों पर आधारित होगा (होंगे)। अनुमानिक प्रश्नों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 6. मद संख्या 9 की बाबत, उपाबंध 1 में, आवेदक सुसंगत तथ्यों का ब्यौरा देगा ।प्रत्येक प्रश्न पर कर प्रभाव का भी उल्लेख किया जाना चाहिए।
- 7. मद संख्या 10 के लिए उपाबंध 2 में, आवेदक अपने विधि के निर्वचन या ऐसे प्रश्न (प्रश्नों) जिन पर अग्रिम विनिर्णय चाहा गया है. की बाबत तथ्यों को स्पष्ट रुप से वर्णित करेगा।
- 8. आवेदन, उससे संलग्न सत्यापन, आवेदन और विवरणों के उपाबंधों और उपाबंधों से संलग्न दस्तावेज इस प्रकार से है,-
  - (क) व्यष्टि के मामले में,-
    - (I) अंकीय रूप से हस्ताक्षरित, यदि उसे अंकीय हस्ताक्षर के अधीन आय की अपनी विवरणी देना इन नियमों के अधीन अपेक्षित हो
      - (i) व्यष्टि स्वयं द्वारा ; और
    - (ii) जहां, किसी अपिरहार्य कारण से, किसी व्यष्टि के लिए आवेदन में हस्ताक्षर करना संभव नहीं है, इस संबंध में उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा ;
    - परंतु उपखंड (ii) में निर्दिष्ट मामले में, आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति ऐसा करने के लिए व्यष्टि से विधिमान्य मुख्तारनामा रखता है, जिसे आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा ; या
    - (II) किसी अन्य मामले में, अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता के माध्यम से संसूचित करेगा ;

## (ख) हिंदू अविभक्त कुटुंब के मामले में,-

- (I) अंकीय रूप से हस्ताक्षरित, यदि उसे अंकीय हस्ताक्षर के अधीन आय की अपनी विवरणी देना इन नियमों के अधीन अपेक्षित हो
  - (i) उसके कर्ता द्वारा ; और
- (ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से, कर्ता के लिए आवेदन में हस्ताक्षर करना संभव नहीं है ऐसे परिवार के किसी अन्य वयस्क सदस्य द्वारा : या
- (II) किसी अन्य मामले में, अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता के माध्यम से संसूचित करेगा ;
- (ग) कंपनी के मामले में, अंकीय रुप से हस्ताक्षरित,-
  - (i) उसके प्रबंध निदेशक द्वारा, या जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा प्रबंध निदेशक आवेदन में हस्ताक्षर और सत्यापन करने के योग्य नहीं हैं, या जहां कोई प्रबंध निदेशक नहीं हैं ; उसके किसी निदेशक द्वारा ;
  - (ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से, प्रबंध निदेशक या निदेशक के लिए आवेदन में हस्ताक्षर करना संभव नहीं है इस संबंध में कंपनी द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा;

परंतु उपखंड (ii) के निर्दिष्ट मामले में, आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति ऐसा करने के लिए कंपनी से विधिपूर्ण मुख्तारनामा रखता है, जिसे आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा ; या

## (घ) फर्म के मामले में,

- (I) अंकीय रुप से हस्ताक्षरित, यदि उसे अंकीय हस्ताक्षर के अधीन आय की अपनी विवरणी देना इन नियमों के अधीन अपेक्षित हो
  - (i) उसके प्रबंध भागीदार द्वारा; और
- (ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से, ऐसा प्रबंध भागीदार आवेदन पर हस्ताक्षर या सत्यापन करने के योग्य नहीं है, या जहां ऐसा कोई प्रबंध भागीदार नहीं है, उसके किसी भागीदार द्वारा, जो अवयस्क न हो ;
- (II) किसी अन्य मामले में, अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता के माध्यम से संसूचित करेगा ;

## (ड.) व्यक्तियों के संगम के मामले में,

- (I) अंकीय रुप से हस्ताक्षरित, यदि वह उसके किसी संगम के सदस्य या प्रधान अधिकारी द्वारा अंकीय हस्ताक्षर के अधीन आय की अपनी विवरणी देना इन नियमों के अधीन अपेक्षित हो ; या
- (II) किसी अन्य मामले में, अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता के माध्यम से संसूचित करेगा ;
- (च) किसी अन्य व्यक्ति के मामले में,-
  - (I) अंकीय रुप से हस्ताक्षरित, यदि उस व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से काम करने के लिए कुछ सक्षम व्यक्ति द्वारा अंकीय हस्ताक्षर के अधीन आय की अपनी विवरणी देना इन नियमों के अधीन अपेक्षित हो; या
  - (II) किसी अन्य मामले में, अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता के माध्यम से संसूचित करेगा ;

## उपाबंध 1

[अधिसूचना सं. 49/2022/फा. सं. 370142/6/2022-टीपीएल]

शेफाली सिंह, अवर सचिव, कर नीति और विधान

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 325(अ), तारीख 29 अप्रैल, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

#### MINISTRY OF FINANCE

#### (Department of Revenue)

#### (CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 2022

- **G.S.R.** 339(E).—In exercise of the powers conferred by the section 245Q read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend Income-tax Rules, 1962, namely:—
- 1. **Short title and commencement**. (1) These rules may be called the Income-tax (Twelfth Amendment) Rules, 2022.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Income-tax Rules, 1962, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 44E,—
  - (I) in sub-rule (1), the words "in quadruplicate" shall be omitted;
  - (II) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
- "(2) The application referred to in sub-rule (1), the verification appended thereto, the annexures to the said application and the statements and documents accompanying the annexures, shall be,—
- (a) in the case of an individual,—
  - (I) signed digitally, if he is required under these rules to furnish his return of income under digital signature,—
    - (i) by the individual himself; or
    - (ii) where, for any unavoidable reason, it is not possible for the individual to sign the application, by any person duly authorised by him in this behalf:

**Provided** that in a case referred to in sub-clause (*ii*), the person signing the application holds a valid power of attorney from the individual to do so, which shall be attached to the application; or

- (II) communicated through his registered e-mail address, in any other case;
- (b) in the case of a Hindu undivided family,—
  - (I) signed digitally, if it is required under these rules to furnish his return of income under digital signature,—
    - (i) by the karta thereof; and
    - (ii) where, for any unavoidable reason, it is not possible for the karta to sign the application, by any other adult member of such family; or
  - (II) communicated through its registered e-mail address, in any other case;
- (c) in the case of a company, digitally signed,—
  - (i) by the Managing Director thereof; or where for any unavoidable reason such Managing Director is not able to sign and verify the application, or where there is no Managing Director, by any Director thereof;
  - (ii) where, for any unavoidable reason, it is not possible for the Managing Director or the Director to sign the application, by any person duly authorised by the company in this behalf:

**Provided** that in the case referred to in sub-clause (ii), the person signing the application holds a valid power of attorney from the company to do so, which shall be attached to the application;

- (d) in the case of a firm,
  - (I) signed digitally, if it is required under these rules to furnish his return of income under digital signature,—
    - (i) by the managing partner thereof; and

- (ii) where for any unavoidable reason such managing partner is not able to sign and verify the application, or where there is no managing partner as such, by any partner thereof, not being a minor;
- (II) communicated through its registered e-mail address, in any other case;
- (e) in the case of an association of persons,—
  - (I) signed digitally, if it is required under these rules to furnish his return of income under digital signature, by any member of the association or the principal officer thereof; or
  - (II) communicated through its registered e-mail address, in any other case;
- (f) in the case of any other person,—
  - (I) signed digitally, if it is required under these rules to furnish his return of income under digital signature, by that person or by some other person competent to act on his behalf; or
  - (II) communicated through his registered e-mail address, in any other case.";
- 3. In the said rules, in Appendix-II, for the forms "FORM No. 34C to FORM No. 34EA", the following forms shall be substituted, namely:—

#### "FORM No. 34C

[See rule 44E]

## [Form of application by a non-resident applicant] for obtaining an advance ruling under section 245Q(1) of the Income-tax Act, 1961

(PLEASE READ THE NOTES CAREFULLY BEFORE FILLING THIS FORM) BEFORE THE BOARD FOR ADVANCE RULINGS

Application No. ..... of .....

1.	Full name and address of the applicant	
_		
2.	Telephone, Fax No. and email address	
3.	Country of which he is resident	
4.	Status	
5.	Basis of claim for being a non-resident	
6.	The Commissioner having jurisdiction over the applicant (only in the case of existing assessees)	
7.	Permanent Account Number or Aadhaar Number (only in the case of existing assessees)	
8.	Questions relating to the transaction on which the advance ruling is required	
	runing is required	
9.	Statement of the relevant facts having a bearing on the	
<b>).</b>	aforesaid questions	

Any unique number used for identification of the Immediate parent company of applicant by the Government of that country or specified territory of

which it claims to be a resident

(f)	Name of Ultimate parent company of the applicant	
(g)	Address of Ultimate parent company of the applicant	
(h)	Country of residence of Ultimate parent company of the applicant	
(i)	Permanent Account Number or Aadhaar Number of Ultimate parent company of the applicant (if allotted)	
(j)	Taxpayer Registration Number or Taxpayer Identification Number or Functional equivalent or Any unique number used for identification of the Ultimate parent company of applicant by the Government of that country or specified territory of which it claims to be a resident	
		(Applicant)
	Verification	
[, [nomo in	full and in block letters] of	8
solemnly including am m	declare that to the best of my knowledge and belief was the documents accompanying such annexure(s), is comparing this application in my capacity am competent to make this application and verify it.	what is stated above and in the annexure(s), prrect and complete. I further declare that I
	clare that the question on which the advance ruling is ne-tax authority, the Appellate Tribunal or any court.	s required is not pending in my case before
Verified	today, theday of	
		(Applicant)
Place		(Applicant)

## **Notes:**

- 1. The application shall be filled in English or Hindi.
- 2. The number and year of receipt of the application shall be filled in the Office of the Board for Advance Rulings.

- 3. The application shall be accompanied by an account payee demand draft of two thousand five hundred Indian rupees drawn in favour of Board for Advance Rulings, payable at New Delhi. Particulars of the draft shall be given in reply to item No. 12.
- 4. In reply to item No. 3, if the applicant is a company, association of persons or Hindu undivided family, etc., the country of residence thereof is to be given and not of the individual who is filing the application on behalf of such person.
- 5. In reply to item No. 4, the applicant shall state whether he or it is an individual, Hindu undivided family, firm, association of persons or company.
- 6. For item No. 5, the reply shall be given in the context of the provisions regarding 'residence' in India as contained in section 6 of the Income-tax Act. The position in this regard is as follows:

An individual is said to be 'resident' in any financial year, if he has been in India during that year:

- for a period or periods of 182 days or more; or
- for a period or periods of 60 days or more and has also been in India within the preceding four years for a period or periods of 365 days or more.

However, the period of 60 days is increased to 182 days in the case of a citizen of India or a person of Indian origin who has been outside India and comes on a visit to India or a citizen of India who leaves India for purposes of employment outside India, or as a member of the crew of an Indian ship. Further, a person who is a citizen of India or a person of Indian origin who has been outside India and comes to a visit to India, the aforementioned period of 60 days is increased to 120 days if the total income of such person, other than income from foreign sources, exceeds rupees 15 lakh during the relevant previous year.

Furthermore, irrespective of the above mentioned conditions, an individual, who is a citizen of India and has total income, other than the income from foreign sources, exceeding rupees 15 lakh will be deemed to be a resident if he is not liable to tax in any other country or territory due to his domicile or residence or any other criterion.

An association of persons or a Hindu undivided family is resident in India in every case except where the control and management of its affairs is situated wholly outside India.

A company is resident in India, if it is an Indian company or its place of effective management is situated wholly in India.

A person who is not resident in India as above, is non-resident in India.

- 7. Regarding item No. 8, the questions shall be based on actual or proposed transactions. Hypothetical questions shall not be entertained.
- 8. In respect of item No. 9, in Annexure I, the applicant shall state in detail the relevant facts and also disclose the nature of his business or profession and the likely date and purpose of the proposed transactions. Relevant facts reflected in documents submitted along with the application must be included in the statement of facts and not merely incorporated by reference.
- 9. For item No. 10, in Annexure II, the applicant shall clearly state his interpretation of law or facts in respect of the questions on which the advance ruling has been sought.
- 10. The application, the verification appended thereto, the annexures to the application and the statements and documents accompanying the annexures, shall be,—
- (a) in the case of an individual,—
  - (I) signed digitally, if he is required under these rules to furnish his return of income under digital signature
    - (i) by the individual himself; and
    - (ii) where, for any unavoidable reason, it is not possible for the individual to sign the application, by any person duly authorised by him in this behalf:

**Provided** that in a case referred to in sub-clause (*ii*), the person signing the application holds a valid power of attorney from the individual to do so, which shall be attached to the application; or

- (II) communicated through his registered e-mail address, in any other case;
- (b) in the case of a Hindu undivided family,—
  - (I) signed digitally, if it is required under these rules to furnish his return of income under digital signature,—
    - (i) by the karta thereof; and
    - (ii) where, for any unavoidable reason, it is not possible for the karta to sign the application, by any other adult member of such family ;or
  - (II) communicated through its registered e-mail address, in any other case;
- (c) in the case of a company, digitally signed,—
  - (i) by the Managing Director thereof, or where for any unavoidable reason such Managing Director is not able to sign and verify the application, or where there is no Managing Director, by any Director thereof:
  - (ii) where, for any unavoidable reason, it is not possible for the Managing Director or the Director to sign the application, by any person duly authorised by the company in this behalf:

**Provided** that in the case referred to in sub-clause (*ii*), the person signing the application holds a valid power of attorney from the company to do so, which shall be attached to the application;

- (d) in the case of a firm,
  - (I) signed digitally, if it is required under these rules to furnish its return of income under digital signature,—
    - (i) by the managing partner thereof; and
    - (ii) where for any unavoidable reason such managing partner is not able to sign and verify the application, or where there is no managing partner as such, by any partner thereof, not being a minor;
  - (II) communicated through its registered e-mail address, in any other case;
- (e) in the case of an association of persons,—
  - (I) signed digitally, if it is required under these rules to furnish his return of income under digital signature, by any member of the association or the principal officer thereof; or
  - (II) communicated through its registered e-mail address, in any other case;
- (f) in the case of any other person,—
  - (I) signed digitally, if it is required under these rules to furnish his return of income under digital signature, by that person or by some person competent to act on his behalf; or
  - (II) communicated through his registered e-mail address, in any other case;

#### ANNEXURE I

Statement of th	e relevant facts having a bearing on the questions on which the advance ruling is required
Place Date	(Applicant)

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 31

## ANNEXURE II

Sta the	atement containing the applicant's interpretation of law	or facts, as the case may be, in respect of
qu	uestion(s) on which advance ruling is required	
	ace ate	(Applicant)
	FORM No. 34D  [See rule 44E]  [Form of application by a non-resident applicant] for obta  245Q(1) of the Income-tax  (PLEASE READ THE NOTES CAREFULLY BEAD THE BOARD FOR ADVAPPLICATION No	Act, 1961 EFORE FILLING THIS FORM) ANCE RULINGS
1.	Full name and address of the applicant	
2.	Telephone, Fax No. and email address	
3.	Status	
4.	The Commissioner and Assessing Officer having jurisdiction over the applicant	
5.	Permanent Account Number or Aadhaar Number	
6.	Particulars of the non-resident with whom the transaction is undertaken or proposed to be undertaken	
	(a) Name of the non-resident	
	(b) Address of the non-resident	
	(c) Telephone and Fax Number of the non-resident	
	(d) Permanent Account Number of the non-resident (if allotted)	

(e)	Taxpayer Registration Number or Taxpayer Identification Number/Functional equivalent or Any unique number used for identification of the non-resident by the Government of that country or specified territory of which it claims to be a resident.
<b>(f</b> )	None of Lumedista general company of the non-
(f)	Name of Immediate parent company of the non-resident
(g)	Address of Immediate parent company of the non-resident
(h)	Country of residence of Immediate parent company of the non-resident
(i)	Permanent Account Number of Immediate parent
( )	company of the non-resident (if allotted)
<i>(</i> 1)	
(j)	Taxpayer Registration Number or Taxpayer Identification Number or Functional equivalent/ Any unique number used for identification of the Immediate parent company of the non-resident by the Government of that country or specified territory of which it claims to be a resident
(k)	Name of Ultimate parent company of the non-resident
(1)	Address of Ultimate parent company of the non-resident
(m)	Country of residence of Ultimate parent company of
` /	the non-resident
(n)	Permanent Account Number of Liltimete parent
(n)	Permanent Account Number of Ultimate parent company of the non-resident (if allotted)
(0)	Taxpayer Registration Number or Taxpayer Identification Number or Functional equivalent or Any unique number used for identification of the Ultimate parent company of the non-resident by the Government of that country/specified territory of which it claims to be a resident;

[भाग	ा ।।—खण्ड ३(१)] भारत का राजपत्र : असाधा	रण 33
7.	Basis of claim that the person referred to in serial number 6 with whom the transaction is undertaken or proposed to be undertaken is a non-resident	
8.	Questions of law or of fact relating to a transaction undertaken or proposed to be undertaken on which the advance ruling is required	
9.	Statement of the relevant facts having a bearing on the aforesaid questions	
10.	Statement containing the applicant's interpretation of law or facts, as the case may be, in respect of the aforesaid questions	
11.	List of documents or statements attached	
12.	Particulars of account payee demand draft accompanying the application	
		(Applicant)
	Verification	
I,		$\mathcal{E}$
sole incl am	me in full and in block letters] of	what is stated above and in the annexure(s), correct and complete. I further declare that I
	so declare that the question on which the advance ruling is some-tax authority, the Appellate Tribunal or any court.	required is not pending in my case before any
Ver	ified today, theday of	
		Signea (Applicant)
Pla	ce	
Not	es:	

- 1. The application shall be filled in English or Hindi.
- 2. The number and year of receipt of the application shall be filled in the Office of the Board for Advance Rulings.

- 3. The application shall be accompanied by an account payee demand draft of two thousand five hundred Indian rupees drawn in favour of Board for Advance Rulings, payable at New Delhi. Particulars of the draft shall be given in reply to item No. 12.
- 4. In reply to item No. 3, the applicant shall state whether he or it is an individual, Hindu undivided family, firm, association of persons or company.
- 5. For item No. 6, the reply shall be given in the context of the provisions regarding 'residence' in India as contained in section 6 of the Income-tax Act. The position in this regard is as follows:

An individual is said to be 'resident' in any financial year, if he has been in India during that year:

- for a period or periods of 182 days or more; or
- for a period or periods of 60 days or more and has also been in India within the preceding four years for a period or periods of 365 days or more.

However, the period of 60 days is increased to 182 days in the case of a citizen of India or a person of Indian origin who has been outside India and comes on a visit to India or a citizen of India who leaves India for purposes of employment outside India, or as a member of the crew of an Indian ship. Further, a person who is a citizen of India or a person of Indian origin who has been outside India and comes to a visit to India, the aforementioned period of 60 days is increased to 120 days if the total income of such person, other than income from foreign sources, exceeds rupees 15 lakh during the relevant previous year.

Furthermore, irrespective of the above mentioned conditions, an individual, who is a citizen of India and has total income, other than the income from foreign sources, exceeding rupees 15 lakh will be deemed to be a resident if he is not liable to tax in any other country or territory due to his domicile or residence or any other criterion.

An association of persons or a Hindu undivided family is resident in India in every case except where the control and management of its affairs is situated wholly outside India.

A company is resident in India, if it is an Indian company or its place of effective management is situated wholly in India.

A person who is not resident in India as above, is non-resident in India.

- 7. Regarding item No. 8, the question(s) shall be based on actual or proposed transactions. Hypothetical questions shall not be entertained.
- 8. In respect of item No. 9, in Annexure I, the applicant shall state in detail the relevant facts and also disclose the nature of his business or profession and the likely date and purpose of the proposed transaction(s). Relevant facts reflected in the documents submitted along with the application shall be included in the statement of facts and not merely incorporated by reference.
- 9. For item No. 10, in Annexure II, the applicant shall clearly state his interpretation of law or facts in respect of the question(s) on which the advance ruling has been sought.
- 10. The application, the verification appended thereto, the annexures to the application and the statements and documents accompanying the annexures, shall be,—
- (a) in the case of an individual,—
  - (I) signed digitally, if he is required under these rules to furnish his return of income under digital signature
    - (i) by the individual himself; and
    - (ii) where, for any unavoidable reason, it is not possible for the individual to sign the application, by any person duly authorised by him in this behalf:

**Provided** that in a case referred to in sub-clause (*ii*), the person signing the application holds a valid power of attorney from the individual to do so, which shall be attached to the application; or

- (II) communicated through his registered e-mail address, in any other case;
- (b) in the case of a Hindu undivided family,—

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 35

- (I) signed digitally, if it is required under these rules to furnish his return of income under digital signature,—
  - (i) by the karta thereof; and
  - (ii) where, for any unavoidable reason, it is not possible for the karta to sign the application, by any other adult member of such family ;or
- (II) communicated through its registered e-mail address, in any other case;
- (c) in the case of a company, digitally signed,—
  - (i) by the Managing Director thereof, or where for any unavoidable reason such Managing Director is not able to sign and verify the application, or where there is no Managing Director, by any Director thereof;
  - (ii) where, for any unavoidable reason, it is not possible for the Managing Director or the Director to sign the application, by any person duly authorised by the company in this behalf:

**Provided** that in the case referred to in sub-clause (ii), the person signing the application holds a valid power of attorney from the company to do so, which shall be attached to the application;

- (d) in the case of a firm,
  - (I) signed digitally, if it is required under these rules to furnish its return of income under digital signature,—
    - (i) by the managing partner thereof; and
    - (ii) where for any unavoidable reason such managing partner is not able to sign and verify the application, or where there is no managing partner as such, by any partner thereof, not being a minor;
  - (II) communicated through its registered e-mail address, in any other case;
- (e) in the case of an association of persons,—
  - (I) signed digitally, if it is required under these rules to furnish his return of income under digital signature, by any member of the association or the principal officer thereof; or
  - (II) communicated through its registered e-mail address, in any other case;
- (f) in the case of any other person,—
  - (I) signed digitally, if it is required under these rules to furnish his return of income under digital signature, by that person or by some person competent to act on his behalf; or
  - (II) communicated through his registered e-mail address, in any other case;

#### ANNEXURE I

Statement of the relevant facts having a be	earing on the question(s) on which the advance ruling is required
Place	(Applicant)
Date	ANNEXURE II
Statement containing the applicant's interp the question(s) on which advance ruling is re	retation of law or facts, as the case may be, in respect of equired
Place	
Date	(Applicant)

(Applicant)

#### FORM No. 34DA

[See rule 44E]

## [Form of application by a non-resident applicant] for obtaining an advance ruling under section 245Q(1) of the Income-tax Act, 1961

(PLEASE READ THE NOTES CAREFULLY BEFORE FILLING THIS FORM)
BEFORE THE BOARD FOR ADVANCE RULINGS
Application No. ............................... of ......

1.	Full name and address of the applicant	
2.	Telephone, Fax No. and email address	
3.	Status	
4.	The Commissioner and Assessing Officer having jurisdiction over the applicant	
5.	Permanent Account Number or Aadhaar Number	
6.	Name, address, telephone or fax number and email address of the person with whom the transaction is undertaken or proposed to be undertaken	
7.	Questions of law or of fact relating to a transaction undertaken or proposed to be undertaken on which the advance ruling is required	
8.	Statement of the relevant facts having a bearing on the aforesaid questions	
9.	Statement containing the applicant's interpretation of law or facts, as the case may be, in respect of the aforesaid questions	
10.	Whether there are any decisions of the Court on the question raised on which ruling is required? If yes, list such relevant decisions.	
11.	List of documents or statements attached	
12.	Particulars of account payee demand draft accompanying the application	5
		a.
		Signed

#### Verification

I,	son/daughter/wife
[name in full and in block letters] of	do hereby
solemnly declare that to the best of my knowledge and belief what is stated above and	in the annexure(s),
including the documents accompanying such annexure(s), is correct and complete. I fu	urther declare that I
am making this application in my capacity as (designation) and that	t I am competent to
make his application and verify it.	
I also declare that the question on which the advance ruling is required is not pending in income-tax authority, the Appellate Tribunal or any court.	my case before any
Verified today, theday of	
	Signed
	(Applicant)

#### **Notes:**

*Place.....* 

- 1. The application shall be filled in English or Hindi.
- 2. The number and year of receipt of the application shall be filled in the Office of the Board for Advance Rulings.
- 3. The application shall be accompanied by an account payee demand draft of two thousand five hundred Indian rupees drawn in favour of Board for Advance Rulings, payable at New Delhi. Particulars of the draft shall be given in reply to item No. 12.
- 4. In reply to item No. 3, the applicant shall state whether he/it is an individual, Hindu undivided family, firm, association of persons or company.
- 5. Regarding item No. 6, the questions shall be based on actual or proposed transactions. Hypothetical questions shall not be entertained.
- 8. In respect of item No. 7, in Annexure I, the applicant shall state in detail the relevant facts and also disclose the nature of his business or profession and the likely date and purpose of the proposed transactions. Relevant facts reflected in the documents submitted along with the application shall be included in the statement of facts and not merely incorporated by reference.
- 9. For item No. 8, in Annexure II, the applicant shall clearly state his interpretation of law or facts in respect of the question(s) on which the advance ruling has been sought.
- 10. The application, the verification appended thereto, the annexures to the application and the statements and documents accompanying the annexures, shall be,—
- (a) in the case of an individual,—
  - (I) signed digitally, if he is required under these rules to furnish his return of income under digital signature
    - (i) by the individual himself; and
    - (ii) where, for any unavoidable reason, it is not possible for the individual to sign the application, by any person duly authorised by him in this behalf:

**Provided** that in a case referred to in sub-clause (*ii*), the person signing the application holds a valid power of attorney from the individual to do so, which shall be attached to the application; or

- (II) communicated through his registered e-mail address, in any other case;
- (b) in the case of a Hindu undivided family,—

(Applicant)

- (I) signed digitally, if it is required under these rules to furnish his return of income under digital signature.—
  - (i) by the karta thereof; and
  - (ii) where, for any unavoidable reason, it is not possible for the karta to sign the application, by any other adult member of such family; or
- (II) communicated through its registered e-mail address, in any other case;
- (c) in the case of a company, digitally signed,—
  - (i) by the Managing Director thereof, or where for any unavoidable reason such Managing Director is not able to sign and verify the application, or where there is no Managing Director, by any Director thereof;
  - (ii) where, for any unavoidable reason, it is not possible for the Managing Director or the Director to sign the application, by any person duly authorised by the company in this behalf:

**Provided** that in the case referred to in sub-clause (*ii*), the person signing the application holds a valid power of attorney from the company to do so, which shall be attached to the application;

- (d) in the case of a firm,
  - (I) signed digitally, if it is required under these rules to furnish his return of income under digital signature,—
    - (i) by the managing partner thereof; and
    - (ii) where for any unavoidable reason such managing partner is not able to sign and verify the application, or where there is no managing partner as such, by any partner thereof, not being a minor;
  - (II) communicated through its registered e-mail address, in any other case;
- (e) in the case of an association of persons,—
  - (I) signed digitally, if it is required under these rules to furnish its return of income under digital signature, by any member of the association or the principal officer thereof; or
  - (II) communicated through its registered e-mail address, in any other case;
- (f) in the case of any other person,—
  - (I) signed digitally, if it is required under these rules to furnish his return of income under digital signature, by that person or by some person competent to act on his behalf; or
  - (II) communicated through his registered e-mail address, in any other case;

#### ANNEXURE I

Statement of the relevant facts having a bearing on the question(s) on which required	th the advance ruling is
Place	(Applicant)
Date(Applicant)	, 22
ANNEXURE II	
Statement containing the applicant's interpretation of law or facts, as the c the question(s) on which advance ruling is required	ase may be, in respect of
Place	
Date	

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 39

### FORM No. 34E

[See rule 44E]

Form of application by a person falling within such class or category of persons as notified by Central Government in exercise of powers conferred for obtaining an advance ruling under section 245Q(1) of the Income-tax Act, 1961

# (PLEASE READ THE NOTES CAREFULLY BEFORE FILLING THIS FORM) BEFORE THE BOARD FOR ADVANCE RULINGS

Application No. ...... of .....

1. Full name and address of the applicant

2.	Telephone, Fax No. and email address	
3.	Status	
4.	The Commissioner and Assessing Officer having jurisdiction over the applicant	
5.	Permanent Account Number or Aadhaar Number	
6.	Particulars of the appeal number and date of appeal before the CIT(A) or the Tribunal wherever applicable	
7.	Assessment year, date of assessment order and section under which the original order was passed by the Assessing Officer wherever applicable (enclose copy of the assessment order and appellate order)	
8.	Questions of law or of fact involved on which the advance ruling is required	
9.	Statement of the relevant facts having a bearing on the aforesaid questions	
10.	Statement containing the applicant's interpretation of law or facts, as the case may be, in respect of the aforesaid questions	
11.	List of documents or statements attached	
12.	Particulars of account payee demand draft accompanying the application	

(Applicant)

#### Verification

#### **Notes:**

- 1. The application shall be filled in English or Hindi.
- 2. The number and year of receipt of the application shall be filled in the Office of the Board for Advance Rulings.
- 3. The application shall be accompanied by an account payee demand draft of two thousand five hundred Indian rupees drawn in favour of Board for Advance Rulings, payable at New Delhi. Particulars of the draft shall be given in reply to item No. 12.
- 4. In reply to item No. 3, the applicant shall state whether he or it is an individual, Hindu undivided family, firm, association of persons or company.
- 5. Regarding item No. 8, the questions shall be based on actual or proposed transactions. Hypothetical questions shall not be entertained.
- 6. In respect of item No. 9, in Annexure I, the applicant shall state in detail the relevant facts. The tax effect on each question shall also be spelt out.
- 7. For item No. 10, in Annexure II, the applicant shall clearly state his interpretation of law or facts in respect of the questions on which the advance ruling is being sought.
- 8. The application, the verification appended thereto, the annexures to the application and the statements and documents accompanying the annexures, shall be,—
- (a) in the case of an individual,—
  - (I) signed digitally, if he is required under these rules to furnish his return of income under digital signature
    - (i) by the individual himself; and
    - (ii) where, for any unavoidable reason, it is not possible for the individual to sign the application, by any person duly authorised by him in this behalf:

**Provided** that in a case referred to in sub-clause (*ii*), the person signing the application holds a valid power of attorney from the individual to do so, which shall be attached to the application; or

- (II) communicated through his registered e-mail address, in any other case;
- (b) in the case of a Hindu undivided family,—
  - (I) signed digitally, if it is required under these rules to furnish his return of income under digital signature,—

- (i) by the karta thereof; and
- (ii) where, for any unavoidable reason, it is not possible for the karta to sign the application, by any other adult member of such family; or
- (II) communicated through its registered e-mail address, in any other case;
- (c) in the case of a company, digitally signed,—
  - (i) by the Managing Director thereof, or where for any unavoidable reason such Managing Director is not able to sign and verify the application, or where there is no Managing Director, by any Director thereof;
  - (ii) where, for any unavoidable reason, it is not possible for the Managing Director or the Director to sign the application, by any person duly authorised by the company in this behalf:

**Provided** that in the case referred to in sub-clause (*ii*), the person signing the application holds a valid power of attorney from the company to do so, which shall be attached to the application;

- (d) in the case of a firm,
  - (I) signed digitally, if it is required under these rules to furnish its return of income under digital signature,—
    - (i) by the managing partner thereof, and
    - (ii) where for any unavoidable reason such managing partner is not able to sign and verify the application, or where there is no managing partner as such, by any partner thereof, not being a minor;
  - (II) communicated through its registered e-mail address, in any other case;
- (e) in the case of an association of persons,—
  - (I) signed digitally, if it is required under these rules to furnish its return of income under digital signature, by any member of the association or the principal officer thereof; or
  - (II) communicated through its registered e-mail address, in any other case;
- (f) in the case of any other person,—

Date.....

- (I) signed digitally, if it is required under these Rules to furnish his return of income under digital signature, by that person or by some person competent to act on his behalf; or
- (II) communicated through his registered e-mail address, in any other case;

#### ANNEXURE I

Statement of the r	elevant facts having a bearing on the question(s) on which the required	ie advance ruling is
Place		(Applicant)
Date		
	ANNEXURE II	
	g the applicant's interpretation of law or facts, as the case hich advance ruling is required	may be, in respect of
Place		

(Applicant)

(Applicant)

### FORM No. 34EA

[See rule 44E]

## Form of application for obtaining an advance ruling under section 245Q(1) of the Income-tax Act, 1961

## (PLEASE READ THE NOTES CAREFULLY BEFORE FILLING THIS FORM) BEFORE THE BOARD FOR ADVANCE RULINGS

Application No. ..... of .....

1.	Full name and address of the applicant	
2.	Telephone, Fax No. and email address	
3.	Status	
4.	The Commissioner and Assessing Officer having jurisdiction over the applicant	
5.	Permanent Account Number or Aadhaar Number	
6.	Particulars of the appeal number and date of appeal before the CIT(A) or the Tribunal wherever applicable	
7.	Assessment year, date of assessment order and section under which the original order was passed by the Assessing Officer wherever applicable (enclose copy of the assessment order and appellate order)	
8.	Questions of law or of fact involved on which the advance ruling is required	
9.	Statement of the relevant facts having a bearing on the aforesaid questions	
10.	Statement containing the applicant's interpretation of law or facts, as the case may be, in respect of the aforesaid questions	
11.	List of documents or statements attached	
12.	Particulars of account payee demand draft accompanying the application	

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 43

#### Verification

I,	son/daughter/wife
[name in full and in block letters] of	do hereby
solemnly declare that to the best of my knowledge and belief what is stated above and including the documents accompanying such annexure(s), is correct and complete. I fu am making this application in my capacity as (designation) and that make his application and verify it.	orther declare that I
I also declare that the question on which the advance ruling is required is not pending in income-tax authority, the Appellate Tribunal or any court.	my case before any
Verified today, theday of	
	(Applicant)
<i>Place</i>	

#### **Notes:**

- 1. The application shall be filled in English or Hindi.
- 2. The number and year of receipt of the application shall be filled in the Office of the Board for Advance Rulings.
- 3. The application shall be accompanied by an account payee demand draft of two thousand five hundred Indian rupees drawn in favour of Board for Advance Rulings, payable at New Delhi. Particulars of the draft should be given in reply to item No. 11.
- 4. In reply to item No. 3, the applicant must state whether he or it is an individual, Hindu undivided family, firm, association of persons or company.
- 5. Regarding item No. 8, the question(s) shall be based on actual or proposed transactions. Hypothetical questions shall not be entertained.
- 6. In respect of item No. 9, in Annexure I, the applicant shall state in detail the relevant facts. The tax effect on each question should also be spelt out.
- 7. For item No. 10, in Annexure II, the applicant shall clearly state his interpretation of law or facts in respect of the questions on which the advance ruling is being sought.
- 8. The application, the verification appended thereto, the annexures to the application and the statements and documents accompanying the annexures, shall be,—
- (a) in the case of an individual,—
  - (I) signed digitally, if he is required under these rules to furnish his return of income under digital signature
    - (i) by the individual himself; and
    - (ii) where, for any unavoidable reason, it is not possible for the individual to sign the application, by any person duly authorised by him in this behalf:

**Provided** that in a case referred to in sub-clause (*ii*), the person signing the application holds a valid power of attorney from the individual to do so, which shall be attached to the application; or

(II) communicated through his registered e-mail address, in any other case;

- (b) in the case of a Hindu undivided family,—
  - (I) signed digitally, if it is required under these rules to furnish his return of income under digital signature,—
    - (i) by the karta thereof; and
    - (ii) where, for any unavoidable reason, it is not possible for the karta to sign the application, by any other adult member of such family; or
  - (II) communicated through its registered e-mail address, in any other case;
- (c) in the case of a company, digitally signed,—
  - (i) by the Managing Director thereof, or where for any unavoidable reason such Managing Director is not able to sign and verify the application, or where there is no Managing Director, by any Director thereof;
  - (ii) where, for any unavoidable reason, it is not possible for the Managing Director or the Director to sign the application, by any person duly authorised by the company in this behalf:

**Provided** that in the case referred to in sub-clause (*ii*), the person signing the application holds a valid power of attorney from the company to do so, which shall be attached to the application;

- (d) in the case of a firm,
  - (I) signed digitally, if it is required under these rules to furnish its return of income under digital signature,—
    - (i) by the managing partner thereof, and
    - (ii) where for any unavoidable reason such managing partner is not able to sign and verify the application, or where there is no managing partner as such, by any partner thereof, not being a minor;
  - (II) communicated through its registered e-mail address, in any other case;
- (e) in the case of an association of persons,—
  - (I) signed digitally, if it is required under these Rules to furnish his return of income under digital signature, by any member of the association or the principal officer thereof; or
  - (II) communicated through its registered e-mail address, in any other case;
- (f) in the case of any other person,—
  - (I) signed digitally, if it is required under these Rules, to furnish his return of income under digital signature, by that person or by some person competent to act on his behalf; or
  - (II) communicated through his registered e-mail address, in any other case.

#### ANNEXURE I

Statement of the relevant facts	s having a bearing on the question(s) on which the required	e advance ruling is
Place		
Date(Applicant)		(Applicant)

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 45

#### ANNEXURE II

	ing the applicant's interpretation of law or facts, as the case may be, in respect of which advance ruling is required
Place	
Date	(Applicant)".

[Notification No. 49/2022/F.No.370142/6/2022-TPL]

SHEFALI SINGH, Under Secy., Tax Policy & Legislation

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II Section-3, Sub-Section (ii) *vide* number S.O. 969(E) dated the 26<sup>th</sup> March, 1962 and were last amended *vide* notification No. G.S.R. 325(E), dated the 29<sup>th</sup> April, 2022.